न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ।

उपस्थितः अमित मणि त्रिपाठी (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

परिवाद संख्या – 14585/2022,

सी0एन0आर0 नम्बर यू0पी0एम0ए0–0401–9744–2022

दिलीप बनाम आजाद व 02 अन्य।

दिनांकः 10.01.2023

पत्रावली पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर विपक्षीगण को तलब किये जाने की याचना की गयी है।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 01.08.2022 को समय लगभग 08:30 बजे सुबह परिवादी अपने दरवाजे पर बैठा था कि परिवादी के ही पट्टीदार जमीन के विवाद को लेकर मां–बहन की गाली देने लगे। मना करने पर लात–घूसा व डण्डा से मारने–पीटने लगे। बचाने आयी पत्नी प्रमिला को रिंकी बाल पकड़कर जमीन पर पटक दी तथा लात–घूसा व डण्डा से सभी विपक्षीगण मारे–पीटे, जिससे काफी अंदरूनी चोटे आयीं और परिवादी का मोबाइल एम0आई0 ले लिये। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी दिये। घटना को गांव के बहुत से लोग देखे व बीच–बचाव किये। उक्त घटना की सूचना संबंधित थाना व पुलिस अधीक्षक, मऊ को जरिये पंजीकृत डाक दी गयी, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा विपक्षीगण पर गाली देते हुए मारने–पीटने व जान से मारने की धमकी देने और मोबाईल ले जाने का आरोप लगाया गया है। परिवादी द्वारा अपने धारा 200 दं0प्र0सं0 के साक्ष्य में कथन किया गया है कि आजाद उसका सगा भाई है। आजाद दुर्गापुर में नौकरी करता है। अंतिम बार वह मई में पडरी आये थे। आजाद से उसका झगड़ा 01 अगस्त को जमीन को लेकर हुआ था। उसे आजाद रिंकी व घुरभारी मारे–पीटे। बचाने आयी पत्नी को भी मारे–पीटे व मोबाइल छीन लिये। मोबाइल किसने छीना उसने नहीं`खा। घुरभारी उसके पिता हैं, जो आजाद के साथ रहते हैं। घुरभारी उसे थोड़ा–सा जमीन दिये हैं। मारपीट के समय परिवादी का छोटा लड़का व पत्नी मौजूद थे। परिवादी द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्ल्यू0–01 राधेराम व पी0डब्ल्यू0–02 सुमित्रा देवी ने भी परिवादी के परिवाद पत्र तथा बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 का समर्थन किया गया है।

विधि–व्यवस्था <u>डॉ0 वी0के0 अग्रवाल बनाम उत्तर–प्रदेश राज्य 2010 (68) एस0सी0सी0 492</u> में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि तलबी आदेश पारित करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

उपरोक्त विधि–व्यवस्था तथा परिवाद पत्र, परिवादी के बयान, साक्षियों के बयान के अवलोकन से विपक्षीगण द्वारा मारना–पीटना प्रकट है। पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये मौखिक

व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः विपक्षीगण धारा 323 भा0दं0सं0 के तहत तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

विपक्षीगण 01. आजाद 02. रिंकी देवी, 03. घुरभारी निवासीगण पड़री थाना रानीपुर जनपद मऊ को धारा 323 भा0दं0सं0 थाना रानीपुर, जनपद मऊ के तहत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी परिवाद पत्र की एक प्रति व आदेशिका शुल्क अदाकर आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें तथा साक्षियों की सूची दाखिल करे। वाद पैरवी विपक्षीगण के विरूद्ध समन जारी हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनॉक 10.02.2023 को पेश हो।

दिनांकः 10.01.2023,

(अमित मणि त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ।
जे0ओ0 कोड – यू0पी0 3412